



दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
(कॉर्पोरेट कार्यालय), ब्लॉक-IV, प्लेट-ए एनबीसीसी कार्यालय परिसर,
ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023
सिन: [U66010DL1947GOI007158](#)
वेबसाइट: www.orientalinsurance.org.in

संदर्भ संख्या: ओआईसीएल/भर्ती/2025

दिनांक: 01.08.2025

दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
में 500 सहायकों की भर्ती

दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी साधारण बीमा कंपनी है, पात्र अभ्यर्थियों से तृतीय वर्ग में सहायकों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। उक्त का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

घटनाएँ	महत्वपूर्ण तिथियाँ
ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क का भुगतान	02.08.2025 से 17.08.2025 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)
टियर I (प्रारंभिक) ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि	07.09.2025
टियर II (मुख्य) ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि	28.10.2025
कॉल लेटर डाउनलोड करें	प्रत्येक परीक्षा की तिथि से 7 दिन पूर्व (संभावित) (टियर I एवं टियर II परीक्षा)

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कंपनी की अधिकृत वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> से संपर्क बनाए रखें।

अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम/तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चूंकि लिपिकीय संवर्ग में भर्ती राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आधार पर की जाती है, इसलिए अभ्यर्थी केवल एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आवंटित उस विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केंद्र से ही ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा। उदाहरण के लिए, राजस्थान राज्य में रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल राजस्थान केंद्र को ही चुन सकते हैं और उन्हें केवल उसी राज्य में रोजगार के लिए विचार किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भारत सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू है।

ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियाँ "नॉन-क्रीमी लेयर" से संबंधित ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। "क्रीमी लेयर" ओबीसी अभ्यर्थियों को अपनी संवर्ग "अनारक्षित" के रूप में दर्शानी चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31/01/2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) द्वारा शासित है। ईडब्ल्यूएस की रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी भी वैधानिक कार्यवाही के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अस्थायी होगी और उचित माध्यम से सत्यापित आय एवं संपत्ति प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिक्तियां (अस्थायी):

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	भाषा	कुल रिक्तियां						जिसमें से					
		श्रेणीवार						दिव्यांगजन				ईएसएम	
		अनुसूचित जाति *	अनुसूचित जनजाति*	ओबीसी*	ईडब्ल्यूएस	अना	कुल	वी आई	एच आई	एलडी	आईडी / एमडी	ईएसएम	डिसेक्स और डीएक्सएस
आंध्र प्रदेश	तेलुगु	14	5	7	0	0	26	1	0	0	0	1	1
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
असम	असमिया	0	0	4	0	0	4	0	1	0	0	1	0
बिहार	हिंदी	8	6	5	0	0	19	0	0	0	0	1	0
चंडीगढ़	हिंदी/पंजाबी	1	0	1	0	3	5	0	0	0	0	2	0
छत्तीसगढ़	हिंदी	3	2	0	0	6	11	0	0	0	0	1	0
गोवा	कोंकणी	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
गुजरात	गुजराती	1	3	13	2	9	28	1	0	1	0	2	1
हरियाणा	हिंदी	4	0	3	0	0	7	0	0	0	0	1	0
हिमाचल प्रदेश	हिंदी	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0
जम्मू और कश्मीर	हिंदी/उर्दू	0	2	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0
झारखंड	हिंदी	2	1	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1
कर्नाटक	कन्नड	13	12	17	0	5	47	1	0	0	0	3	2
केरल	मलयालम	9	0	9	3	16	37	0	1	0	0	4	0
मध्य प्रदेश	हिंदी	6	9	4	0	0	19	0	1	0	0	1	0
महाराष्ट्र	मराठी	6	10	23	4	21	64	0	0	2	0	6	1
मिजोरम	मिजो	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	हिंदी	5	9	30	3	19	66	0	0	0	3	4	1

ओडिशा	उडिया	5	5	0	0	2	12	1	0	0	0	2	0
पंजाब	पंजाबी	7	0	4	0	3	14	0	1	0	0	2	0
राजस्थान	हिंदी	2	7	9	1	8	27	0	1	1	0	2	0
सिक्किम	नेपाली/अंग्रेजी	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	तमिल	12	1	17	1	6	37	0	0	1	1	2	1
त्रिपुरा	बंगाली/कोकबोर्क	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	गुजराती	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	हिंदी	3	0	3	1	5	12	0	0	0	1	2	0
उत्तराखंड	हिंदी	5	1	5	0	7	18	0	0	0	0	2	1
पश्चिम बंगाल	बंगाली	8	0	15	0	0	23	1	0	0	0	1	1
कुल		122	77	173	15	113	500	5	5	5	6	41	10

संक्षेपाक्षरों का अर्थ है: यूआर - अनारक्षित; एससी - अनुसूचित जाति; एसटी - अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग, **ईडब्ल्यूएस-** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , **पीडब्ल्यूबीडी** - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, **ईएक्सएस** - पूर्व सैनिक, **डीआईएसईएक्सएस-** विकलांग पूर्व सैनिक, **डीएक्सएस-** गतिविधि में मारे गए सैनिकों के आश्रित।

विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत आरक्षण, परिणाम के अंतिम रूप देने के समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। उपरोक्त रिक्तियाँ अस्थायी हैं और कंपनी की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों की रिक्तियों में बैकलॉग/अधूरी रिक्तियाँ, यदि कोई हों, शामिल हैं। योग्यता सूची राज्यवार और संवर्गवार तैयार की जाएगी। इसके बाद भर्ती-पूर्व परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

यदि आरक्षित वर्ग के लिए कोई रिक्ति न हो, वहाँ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की पात्रता मानदंडों के अनुसार अनारक्षित पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, आवेदन शुल्क में छूट के अतिरिक्त कोई छूट/आरक्षण लागू नहीं होगा।

अर्हता मापदंड

कृपया नोट करें कि निर्दिष्ट अर्हता मानदंड पद के लिए आवेदन करने के लिए बुनियादी मानदंड हैं। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए वर्ग, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित अपनी पहचान और पात्रता के समर्थन में मूल रूप से संबंधित दस्तावेजों और एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी स्तर पर आवेदन डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल पद के लिए आवेदन करना और ऑनलाइन परीक्षा और / या बाद की क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और / या बाद की प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट किया जाना यह नहीं दर्शाता है कि अभ्यर्थी को कंपनी में नियोजन प्रदान किया जाएगा। जिस संवर्ग / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य संवर्ग / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत अभ्यर्थता पर विचार करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. राष्ट्रीयता

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:—

क) भारत का नागरिक हो, या

- बी) नेपाल का नागरिक हो, या
सी) भूटान का नागरिक हो, या
डी) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया था, या
ई) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया है ।

बशर्ते कि संवर्ग (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

2. आयु (31/07/2025 तक)

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष ; अधिकतम आयु: 30 वर्ष (31/07/2025 तक)। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 31.07.2004 के बाद और 31.07.1995 से पहले न हुआ हो (दोनों दिन सम्मिलित) वे आवेदन करने के पात्र हैं। ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जाएगी:

क्रमांक	वर्ग	ऊपरी आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 साल
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016” के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति।	10 वर्ष
4	पूर्व सैनिक / विकलांग पूर्व सैनिक	रक्षा बलों में की गई सेवा की वास्तविक अवधि + 3 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अधीन
5	विधवा, तलाकशुदा महिलाएँ और अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएँ जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है	5 साल
6	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान कर्मचारी	5 साल

टिप्पणी

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए दी जाएगी जिसके लिए आयु में छूट की अनुमति उपरोक्त बिंदु 2 (3) से (6) में उल्लिखित अनुसार दी गई है।
- आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- यदि कोई भूतपूर्व सैनिक पुनः नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल स्तर पर सरकारी नौकरी में शामिल हो गया है, तो सरकार में पुनः नियोजन के प्रयोजन के लिए उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाता है।
- कोई भी भूतपूर्व सैनिक, जो किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, किसी भी बाद की नौकरी में भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक को किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, संबंधित नियोक्ता

को उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्व-घोषणा/वचन देना होगा जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

3. शैक्षणिक योग्यता (31.07.2025 तक)

अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा की किसी भी शाखा में न्यूनतम स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को एसएससी/एचएससी/इंटरमीडिएट/स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों के पास 31.07.2025 का योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

जिन रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान आवश्यक है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा से अभ्यर्थी की परिचितता सुनिश्चित करने के लिए, अंतिम चयन से पहले एक भाषा परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में कुशल न पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

नोट: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और यदि वे अयोग्य पाए जाते हैं तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी।

4. परिभाषाएँ

ए) भूतपूर्व सैनिक, विकलांग भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रित :

भूतपूर्व सैनिक: केवल उन अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 36034/5/85/स्था. (एससीटी) दिनांक 27 जनवरी 1986 में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं।

विकलांग भूतपूर्व सैनिक: भूतपूर्व सैनिक, जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते समय अशांत क्षेत्रों में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में विकलांग हो जाते हैं, उन्हें विकलांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रित: निम्नलिखित ऑपरेशनों में मारे गए सैनिकों को सैन्य सेवा के कारण कार्रवाई में मारे गए माना जाएगा (ए) युद्ध (बी) युद्ध जैसे ऑपरेशन या सीमा पर झड़पें, चाहे संघर्ष विराम रेखा पर पाकिस्तान के साथ या किसी अन्य देश के साथ (सी) एक उग्रवाद विरोधी वातावरण में सशस्त्र शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई, जैसे नागालैंड, मिजोरम, आदि। (डी) विदेश में शांति-रक्षा मिशन के साथ सेवा करना (ई) दुश्मन की खानों सहित खानों को बिछाना या साफ करना और किसी ऑपरेशन के समापन के एक महीने पहले और तीन महीने बाद के बीच खानों की सफाई अभियान (एफ) वास्तविक ऑपरेशन के दौरान या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान तुषाराघात (जी) आंदोलनकारी अर्ध-सैन्य बल कर्मियों से निपटना (एच) श्रीलंका में ऑपरेशन के दौरान मारे गए आईपीकेएफ कर्मी।

टिप्पणी :

- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण की रियायत का लाभ उठाने के उद्देश्य से, परिवार के सदस्य में उनकी विधवा, पुत्र, पुत्री या उनके निकट संबंधी शामिल होंगे जो उनके परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत हों और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि इस रियायत का लाभ भूतपूर्व सैनिकों के किसी एक आश्रित ने उठाया है या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के किसी भी आश्रित ने नहीं उठाया है।

- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को ऊपरी आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता में छूट उपलब्ध नहीं है।
- प्रादेशिक सेना कर्मिकों को 15.11.1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।
- अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय उपरोक्त के समर्थन में उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बी) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी):

'बेंचमार्क दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' की धारा 34 के अंतर्गत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के पात्र हैं। केवल वे व्यक्ति ही आरक्षण के पात्र होंगे जो कम से कम 40% निर्दिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हों और अधिनियम के अनुसार प्रमाणन प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित हों।

तदनुसार, निम्नलिखित विकलांगताओं वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्रारूप (इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध प्रारूप) में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड होना चाहिए और उन्हें **क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय/भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में इसे प्रस्तुत करना होगा।**

ए) वीआई- दृष्टि की हानि (अंधापन और कम दृष्टि),

बी) एचआई- श्रवण हानि (बधिर एवं कम सुनने वाले):

सी) एलडी - गतिजन्य विकलांगता (ओएच) जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं:

डी) आईडी- ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट ज्ञान अक्षमता, मानसिक बीमारी,

ई) एमडी- प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पद में बहरापन-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगताएं।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार होगी।

स्क्राइब का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

i) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रभावित हो गई है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर अपने स्वयं के लेखक का उपयोग कर सकते हैं, जो नीचे (ii) और (iii) में दी गई सीमाओं के अधीन है। ऐसे सभी मामलों में जहां लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

- अभ्यर्थी को अपने खर्च पर स्वयं लेखक की व्यवस्था करनी होगी।
- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त लेखक उसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र हैं और परीक्षा में लेखक की सेवाएँ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- एक अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक नहीं हो सकता।
- लेखक किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र से हो सकता है
- अभ्यर्थी और लेखक दोनों को एक उपयुक्त वचन पत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि लेखक ऊपर उल्लिखित लेखक के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने कोई निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की परवाह किए बिना, आवेदक की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी।
- जो अभ्यर्थी लेखक का उपयोग करेंगे, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय या अन्यथा निर्देशित समय मिलेगा।
- केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी रियायतें दी जाएंगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यदि अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो लेखक की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी अभ्यर्थता भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।

ii) **चलन विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश :** चलन विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट प्रति घंटा या अन्यथा निर्देशित प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रमुख (लेखन) सीमा कार्य के निष्पादन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित करती है (न्यूनतम 40% हानि)।

iii) **दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:-**

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम विकलांगता से ग्रस्त नहीं हैं) परीक्षा की विषय-वस्तु को विशाल रूप में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे या अन्यथा दिशानिर्देशानुसार।
- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो लेखक की सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे विषयवस्तु को विस्तारित रूप में देखने के योग्य नहीं होंगे।

सी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

- 1) वे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (केंद्रीय सूची) के लिए विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय और पेशे, और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचान से बाहर रखा जाएगा:

- (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

- (ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
 - (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड,
 - (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- 2) ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए किसी परिवार द्वारा विभिन्न स्थलों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते हुए एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
 - 3) ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय और कंपनी द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल/प्रतियां जमा करनी होंगी, अन्यथा उन्हें क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी/उनकी अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी।
 - 4) इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

उपरोक्त सभी दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

5. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (ऑनलाइन)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग विकलांग अभ्यर्थी जो ऑनलाइन परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय इसकी सूचना दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> के करियर खंड को देखना आवश्यक है।

जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, उन्हें पंजीकृत ईमेल आईडी/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि केवल ऑनलाइन परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने मात्र से, किसी भी अभ्यर्थी को कंपनी में नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं मिलता।

6. चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) शामिल होगी। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

टियर I - प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा):

100 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा एक घंटे की अवधि की होगी और इसमें निम्नलिखित 3 खंड होंगे:

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	प्रत्येक परीक्षा/खंड की अवधि (अलग-अलग समय पर)	परीक्षा का माध्यम
1	अंग्रेजी भाषा	30	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तार्किक क्षमता परीक्षण	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी/हिंदी
3	संख्यात्मक क्षमता	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी/हिंदी
	कुल (सकल)	100	100	60 मिनट	

अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त करके प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। कंपनी के निर्णयानुसार राज्यवार और संवर्गवार पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को टियर II (मुख्य) परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

टियर II - मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा):

250 अंकों की मुख्य परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें निम्नलिखित 5 खंड होंगे:

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	प्रत्येक परीक्षा/खंड की अवधि (अलग-अलग समय पर)	परीक्षा का माध्यम
1	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी
2	तार्किक क्षमता परीक्षण	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी/हिंदी
3	संख्यात्मक क्षमता का परीक्षण	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी/हिंदी
4	कंप्यूटर ज्ञान	40	50	15 मिनटों	अंग्रेजी/हिंदी
5.	सामान्य जागरूकता की परीक्षा	40	50	15 मिनटों	अंग्रेजी/हिंदी
	कुल (सकल)	200	250	120 मिनट	

ए) प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कुल अंक (कंपनी द्वारा निर्धारित) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बी) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए अलग से कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यह परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी।

सी) अंतिम चयन ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में निष्पादन के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते क्षेत्रीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

डी) यदि मेरिट सूची में अंतिम दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो आयु में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा।

टिप्पणी:

- गलत उत्तर के लिए दंड (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू)
ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए दंडात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसका उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई भाग दंडात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा ताकि सही अंक प्राप्त किए जा सकें। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
- कंपनी परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसकी सूचना उसकी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

अंतिम मेरिट सूची राज्यवार और संवर्गवार ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, बशर्ते कि वे क्षेत्रीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करें। मेरिट सूची में रिक्तियों की संख्या के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस के अधीन नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

अभ्यर्थियों की एक आकस्मिक सूची भी तैयार की जा सकती है तथा अंतिम मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा रोजगार प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परीक्षा की संबंधित तिथि और सत्र के लिए

1. वैध कॉल लेटर।
2. फोटो पहचान प्रमाण (जैसा निर्दिष्ट किया गया है) की मूल प्रति, जिसमें वही नाम और अन्य जानकारी हो जो कॉल लेटर/आवेदन पत्र पर दी गई है और
3. उपरोक्त फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी (जैसा कि नीचे दिया गया है*)

***पहचान जांच**

परीक्षा हॉल में और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय, कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी एक फोटोकॉपी (कॉल लेटर पर दिए गए नाम के समान) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/फोटोग्राफ सहित बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो सहित पहचान पत्र/आधार कार्ड या ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/फोटो सहित बार काउंसिल पहचान पत्र निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जांच के लिए मूल प्रति प्रस्तुत की जाएगी। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों में दिए गए विवरण के आधार पर जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी:

अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होते समय मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसकी फोटोकॉपी परीक्षा कॉल लेटर के साथ जमा करनी होगी, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) पर दिया गया नाम फोटो

पहचान पत्र पर दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र में दिए गए नाम में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा के लिए कॉल लेटर में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद, यानी देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने से पहले का होगा। हालाँकि प्रारंभिक परीक्षा (टियर I) के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटा और मुख्य परीक्षा (टियर II) के लिए 2 घंटे (संभावित) है, अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का जांच और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देना आदि को पूरा करने में लगने वाले समय सहित लगभग 3 से 4 घंटे परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिए गए कॉल लेटर पर दिया गया नाम फोटो पहचान पत्र पर दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला अभ्यर्थियों ने विवाह के बाद अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र में दिए गए नामों में कोई अंतर पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बायोमेट्रिक डेटा-कैप्चरिंग और जांच

प्रारंभिक परीक्षा (टियर-I) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा (बाएँ अंगूठे का निशान या अन्य) और फोटोग्राफ मुख्य परीक्षा (टियर-II) के दिन लेने का निर्णय लिया जा सकता है। बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ की जांच के बाद में क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के दौरान और अंतिम नियुक्ति के समय किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा जांच प्राधिकरण का निर्णय, इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में, अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:-

- यदि अंगुलियों पर कोटिंग हो (मुद्रित स्याही/मेहंदी/रंग आदि) तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा/कार्यग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।
- यदि उंगलियाँ गंदी या धूल भरी हों तो फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोकर सुखा लें।
- यदि ली जाने वाली मुख्य उंगली (बाएँ अंगूठे) घायल/क्षतिग्रस्त हो, तो तुरंत परीक्षा केंद्र के संबंधित अधिकारी को सूचित करें। ऐसे मामलों में दूसरी उंगली, पैर के अंगूठे आदि का निशान भी लिया जा सकता है।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियाँ सूखी हों। अगर उंगलियाँ नम हों, तो उन्हें पोंछकर सुखा लें।

7. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा:

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बाद में कंपनी द्वारा चयनित केंद्रों पर आयोजित क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। केंद्र का नाम और पता, इस परीक्षा का समय और तिथि, चयनित अभ्यर्थियों को हमारी वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। अपने निवास स्थान वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में क्षेत्रीय भाषा परीक्षा देनी होगी और उत्तीर्ण होना होगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए अपने कॉल लेटर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि तिथि, समय, केंद्र आदि में परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो तो कंपनी अपने विवेकानुसार परीक्षा की तिथि/समय/ स्थल/ केंद्र आदि में परिवर्तन करने या किसी विशेष तिथि/सत्र/स्थल/केंद्र/अभ्यर्थियों के समूह के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा केवल पास करने की प्रकृति की होगी। इसके लिए कोई अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम रैंकिंग निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते कि वे क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण हों। अभ्यर्थी को आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए चयनित होने हेतु मेरिट सूची में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान प्राप्त करना होगा।

8. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपनी पात्रता और पहचान के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में और उनकी स्व-सत्यापित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करना भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने से उसकी अभ्यर्थता पर रोक लगा दी जाएगी।

- क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए वैध कॉल लेटर का प्रिंटआउट।
- ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।
- जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या एसएसएलसी/कक्षा दसवीं प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सहित)।
- विज्ञापन के *पहचान जांच में दर्शाए अनुसार फोटो पहचान प्रमाण की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी।
- स्नातक/ एचएससी / समकक्ष (बारहवीं पास) परीक्षा आदि के लिए अंक-पत्र और प्रमाण पत्र। 31.07.2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड / विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
- यदि अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से संबंधित है, तो प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी **क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है**, जिसे भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र **ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि तक मान्य होना चाहिए**। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना से अक्षरशः मिलान होना चाहिए।
- ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले और/या जिनकी जाति केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, वे ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य बतानी होगी।
- बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के व्यक्ति के मामले में, अभ्यर्थी को अधिनियम के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी लेखक की सेवाएँ ली हैं, तो लेखक का विधिवत भरा हुआ विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी : (i) सशस्त्र बलों से मुक्त / सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोफार्मा 'ए' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के

समय डिस्चार्ज प्रमाणपत्र / पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति और अंतिम / वर्तमान में धारित रैंक (मूल और साथ ही विद्यमान) का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (ii) अभ्यर्थी जो अभी भी सशस्त्र बलों में हैं और भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से प्रोफार्मा 'बी' जमा करना चाहिए जिसमें प्रोफार्मा 'सी' में घोषणा के साथ नियुक्ति की विशिष्ट अवधि (एसपीई) के पूरा होने की तारीख दिखाई दे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका एसपीई पूरा हो गया है / **31.12.2025 को या उससे पहले पूरा हो** जाएगा, वे आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एक लिखित पत्र और अभ्यर्थी से एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी (iii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी प्रारंभिक कार्य अवधि पूरी कर ली है और जो विस्तारित कार्य पर हैं, उन्हें प्रोफार्मा 'डी' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (iv) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों या गंभीर रूप से विकलांग हुए लोगों को संतोषजनक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रित हैं या गंभीर रूप से विकलांग हैं और एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि छूट का लाभ भूतपूर्व सैनिकों के एक आश्रित द्वारा लिया गया है या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के किसी आश्रित या गंभीर रूप से विकलांग द्वारा नहीं लिया गया है।

- ईडब्ल्यूएस संवर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
- सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) और अन्य संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा स्वीकार्य, का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
- राष्ट्रीयता मानदंड की संवर्ग 1 (बी), (सी), (डी) और (ई) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. परीक्षा केंद्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र (चरण-I)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र (चरण-I)
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/गुंटूर	महाराष्ट्र	मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर
	विशाखापत्तनम		नागपुर
	ओंगोल, विजयनगरम, तिरुपति, राजमुंदरी		पुणे
असम	गुवाहाटी		छत्रपति संभाजी नगर
	डिब्रूगढ़		नासिक, कोल्हापुर, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, अकोला, लातूर
	सिलचर	मणिपुर	इम्फाल, चुराचांदपुर,
	जोरहाट	मेघालय	शिलांग
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	मिजोरम	आइजोल
बिहार	पटना	नगालैंड	कोहिमा

	गया		दीमापुर
	भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर		भुवनेश्वर
चंडीगढ़	चंडीगढ़/मोहाली/पटियाला	ओडिशा	कटक
छत्तीसगढ़	रायपुर		राउरकेला
	बिलासपुर, भिलाई नगर		बेरहामपुर, बालासोर
दिल्ली- एनसीआर	दिल्ली-एनसीआर	पुदुचेरी	पुदुचेरी
गोवा	पणजी		अमृतसर
गुजरात / दादर और नगर हवेली / दमन और दीव	अहमदाबाद/गांधी नगर	पंजाब	लुधियाना
	वडोदरा/आनंद		भटिंडा, फगवाड़ा, जालंधर, पटियाला
	सूरत		जयपुर
	राजकोट	राजस्थान	जोधपुर
	हिसार		बीकानेर, अजमेर, उदयपुर
हरयाणा	फरीदाबाद	सिक्किम	गंगटोक
	गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, अंबाला		चेन्नई
हिमाचल प्रदेश	शिमला	तमिलनाडु	कोयंबटूर
	मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर		मदुरै, तिरुचिरापल्ली, नागरकोइल, तंजावर, विरुधुनगर
जम्मू और कश्मीर / लद्दाख	श्रीनगर, सांबा	तेलंगाना	हैदराबाद
	जम्मू		वारंगल, खम्मम, निज़ामाबाद
	लेह, कारगिल	त्रिपुरा	अगरतला
झारखंड	रांची		लखनऊ
	जमशेदपुर, धनबाद, हज़ारीबाग	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज
	बैंगलुरु		कानपुर
	हुबली/धारवाड़		नोएडा/ग्रेटर नोएडा, मेरठ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अयोध्या
कर्नाटक	मंगलौर		देहरादून
	मैसूर, बेलगावी (बेलगाम), शिवमोग्गा (शिमोग्गा), कालाबुरागी (गुलबर्गा)	उत्तराखंड	रुड़की
	कोच्चि		हल्द्वानी
केरल	तिरुवनंतपुरम		कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता
	कोझिकोड, त्रिशूर, अलाप्पुझा, कोट्टायम	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
मध्य प्रदेश	भोपाल		आसनसोल, कल्याणी, हुगली, वर्धमान, हावड़ा

	इंदौर	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
	ग्वालियर		
	जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना		

चरण-II के लिए परीक्षा केंद्र	
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र (चरण-II)
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
चंडीगढ़	चंडीगढ़/मोहाली
	पटियाला
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली-एनसीआर	दिल्ली-एनसीआर
गुजरात	अहमदाबाद-गांधीनगर
हिमाचल प्रदेश	शिमला, बिलासपुर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बेंगलुरु
	हुबली, धारवाड़
केरल	कोच्चि, तिरुवनंतपुरम
महाराष्ट्र	मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर, पुणे
मध्य प्रदेश	भोपाल
उड़ीसा	भुवनेश्वर
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता

1. परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
2. परीक्षा के लिए केंद्र/स्थल/तिथि/सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. तथापि, कंपनी अपने विवेकानुसार, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कंपनी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

4. अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर अपने जोखिम एवं व्यय पर परीक्षा देनी होगी तथा कंपनी किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
5. टियर I (प्रारंभिक परीक्षा) और टियर II (मुख्य परीक्षा) के लिए केंद्रों की अस्थायी सूची ऊपर दी गई है।
6. परीक्षा केंद्रों और तिथियों में कंपनी के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की स्थिति में, कंपनी अपने विवेकानुसार संबंधित अभ्यर्थियों को वैकल्पिक केंद्र आवंटित कर सकती है। टियर I और टियर II परीक्षाओं के लिए अलग-अलग कॉल लेटर जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को इन्हें कंपनी की वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> पर दिए गए लिंक से उचित समय पर डाउनलोड करना होगा। कॉल लेटर के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. आवेदन शुल्क

02.08.2025 से 17.08.2025 तक ऑनलाइन भुगतान योग्य (दोनों तिथियां सम्मिलित)

श्रेणी	आवेदन शुल्क
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिक	₹.100/- (जीएसटी सहित) (केवल सूचना शुल्क)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के अलावा सभी अभ्यर्थी	₹. 850/- (जीएसटी सहित) (सूचना शुल्क सहित आवेदन शुल्क)

बैंक लेनदेन चार्ज यदि लागू हो तो उसका भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा।

एक बार भुगतान किया गया शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही भविष्य की किसी भी भर्ती परियोजना में समायोजित किया जाएगा। शुल्क भुगतान विकल्पों का विवरण नीचे दिए गए पैरा 11 में दिया गया है।

11. आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी दिनांक 02.08.2025 से 17.08.2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निम्न हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएँ-

ए. आवेदन पंजीकरण

बी. शुल्क का भुगतान

सी. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा पत्र को स्कैन करके अपलोड करना।

ए. आवेदन पंजीकरण

I. पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए

I. निम्न को स्कैन करें

-फोटोग्राफ (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

-हस्ताक्षर (सफेद कागज पर काली स्याही से)

-बाएं अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से)

- हस्तलिखित घोषणा (काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर) (विषय नीचे दिया गया है)
- यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ 'दस्तावेज़ों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दिशानिर्देश' के तहत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।
- II. बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- III. बाएं अंगूठे का निशान ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए (यदि किसी अभ्यर्थी के पास बाएं अंगूठे नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है)
- IV. हस्तलिखित घोषणा का विषय इस प्रकार है:
- मैं , _____ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।"
- V. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणापत्र अभ्यर्थी की हस्तलिपि में और केवल अंग्रेजी में ही होना चाहिए, बड़े अक्षरों में नहीं। यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जाता है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा (दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो लिख नहीं सकते, वे घोषणापत्र को टाइप करवाकर, टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाकर, विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं)।
- VI. अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज़ तैयार रखें।
- VII. एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। कंपनी परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी ईमेल आईडी बनानी चाहिए और नया मोबाइल नंबर प्राप्त करना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए।

II. आवेदन प्रक्रिया

- अभ्यर्थियों को कंपनी की वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> पर कैरियर सेक्शन में जाकर "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।
- नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें "टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक प्रोविजनल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रोविजनल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लें। प्रोविजनल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड बताते हुए एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
- यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरणों की पुष्टि कर लेनी चाहिए/करवा लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि "अंतिम सबमिट" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।

- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी और उसके पिता/पति आदि का नाम सही-सही लिखा होना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में दिया गया है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन अभ्यर्थता को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- 'अपने विवरण को सत्यापित करें' और 'सहेजें और अगला' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सुरक्षित करें।
- अभ्यर्थी नीचे दिए गए बिंदु "सी" के अंतर्गत फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- "अंतिम सबमिट" से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।
- यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और यह सत्यापित करने तथा सुनिश्चित करने के बाद ही 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
- 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
- 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

बी. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन रूप में करें

1. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीज़ा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना मिलने तक प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ।
4. लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद तैयार हो जाएगी।
5. 'ई-रसीद' न बनना भुगतान विफलता का संकेत है। भुगतान विफल होने पर, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पुनः लॉगिन करें और भुगतान प्रक्रिया दोहराएँ।
6. और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि यह प्रिंटआउट नहीं निकल पाता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल न हुआ हो।
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप किसी गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर इसे आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा।
8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
9. शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण सहित आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।

सी. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देश के अनुसार अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और लिखित घोषणा की स्कैन की गई (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी

फोटोग्राफ का आकार : (4.5 सेमी X 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ हाल ही का पासपोर्ट साइल रंगीन चित्र होना चाहिए।
- चित्र रंगीन होना चाहिए, हल्के रंग का, प्राधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर।
- शांत चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें।

- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूर्य को अपने पीछे रखें, या स्वयं को छाया में रखें, ताकि आपकी आंखें सिकुड़ी हुई न हों और कोई तीखी छाया न पड़े।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक टोपी की अनुमति है, लेकिन इससे चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमान्य)।
- फ़ाइल का आकार 20kb-50kb के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50KB से ज्यादा न हो। अगर फ़ाइल का आकार 50KB से ज्यादा है, तो स्कैनिंग के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स, जैसे DPI रेज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि, समायोजित करें।

हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा चित्र :

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाली कलम से हस्ताक्षर करना होगा।
- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा लिखनी होगी।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर तथा जहां भी आवश्यक होगा, किया जाएगा।
- परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमान्य)।
- हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान के लिए फ़ाइल का आकार 10kb-20kb के बीच और हस्तलिखित घोषणा के लिए 20-50 kb के बीच होना चाहिए।
- **बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा बड़े अक्षरों में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

दस्तावेजों को स्कैन करना

- स्कैनर रिज़ोल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें और रंग को कलर पर सेट करें।
- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक काटें, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके छवि को अंतिम आकार में काटें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।
- इमेज फ़ाइल JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, फ़ाइल का नाम image01 .jpg या image01 .jpeg है। फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज के आकार की जाँच की जा सकती है। MS Windows/MS Office का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी MS Paint या MS Office Picture Manager का उपयोग करके 50kb (फोटोग्राफ और हस्तलिखित घोषणा) और 20kb (हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान) से अधिक नहीं के .jpeg फॉर्मेट में दस्तावेज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को फ़ाइल मेनू में 'Save As' विकल्प का उपयोग करके .jpg फॉर्मेट में सहेजा जा सकता है और इमेज मेनू में क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को 50kb (फोटोग्राफ और हस्तलिखित घोषणा) और 20kb (हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान) से कम किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।
- **यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित किए गए अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश दिखाई देगा।**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे
- संबंधित लिंक "फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें" पर क्लिक करें।
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन की गई फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें.
- 'खोलें/अपलोड करें' बटन पर क्लिक करें।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड नहीं करते।

टिप्पणी:

- 1) यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- 2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि तस्वीरें स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफ या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं।
- 3) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।
- 4) कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरण, जैसे अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र आदि, अंतिम माने जाएँगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। किसी भी प्रकार से अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई उचित आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर के बिना/शुल्क भुगतान में असफल, मान्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क/सूचना शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर अत्यधिक लोड/वेबसाइट जाम होने के कारण वेबसाइट के डिस्कनेक्ट/अक्षम/लॉग ऑन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके। कंपनी उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। कृपया ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया ही एकमात्र मान्य प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरे चरण स्वीकार नहीं किए जाएँगे और ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी पर

व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाए जाते हैं, तो वह अभियोग/दीवानी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

कॉल लेटर डाउनलोड करें

ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (टियर I और II परीक्षाओं के लिए अलग से) अभ्यर्थियों को <https://www.orientalinsurance.org.in> पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। एक बार जब अभ्यर्थी संबंधित लिंक पर क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुंच सकता है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर पर हाल ही की पहचान योग्य तस्वीर चिपकानी होगी, अधिमानतः वही जो पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई हो और परीक्षा केंद्र पर (i) कॉल लेटर (ii) फोटो पहचान प्रमाण की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना चाहिए जैसा कि पहले पहचान सत्यापन के तहत निर्धारित किया गया था और कॉल लेटर में भी निर्दिष्ट किया गया है और (iii) उसी फोटो पहचान प्रमाण की एक फोटोकॉपी जो मूल रूप में लाई गई है।

12. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई।

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत न करें तथा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएं।

परीक्षा के समय, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) -

- अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
- किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना या
- परीक्षा हॉल में दुर्यवहार करना या परीक्षण(ओं) की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, प्रेषित करना, संग्रहीत करना या संचरण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना।
- अपनी अभ्यर्थता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना या
- किसी भी अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थता के लिए समर्थन प्राप्त करना या
- परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के अलावा निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:
 - जिस परीक्षा का वह अभ्यर्थी है, उससे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
 - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाएगा।
 - सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले से ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शामिल हो चुका है।

13. एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष निर्देश:

ए. एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित): (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम संवर्ग स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम

संवर्ग स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। जहां तक तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति समुदाय का संबंध है, तहसीलदार के बजाय केवल राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

नोट: क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय, जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वहां के समुचित प्राधिकारियों से प्राप्त जाति वैधता प्रमाण पत्र की मूल प्रति, उसकी स्व-सत्यापित फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

बी. ओबीसी के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को समय-समय पर संशोधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 15/11/1993 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा जारी अपने ओबीसी दर्जे और गैर-क्रीमी लेयर दर्जे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रमाणपत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) (समय-समय पर संशोधित) की अनुसूची के कॉलम 3 के अनुरूप 'नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज' शामिल होना चाहिए। प्रमाणपत्र पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 की आय पर आधारित होना चाहिए (और 31/03/2025 के बाद और 31/07/2025 से पहले जारी किया गया होना चाहिए)। इसके बिना अभ्यर्थी को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ **निम्नलिखित प्रारूप में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।**

“मैं, _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____ राज्य _____ का निवासी हूँ, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ समुदाय से हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/1993 में निहित नियमों के अनुसार समय-समय पर संशोधित के अनुसार पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा है कि मैं समय-समय पर संशोधित उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08/09/1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए। ओबीसी संवर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी और/या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में जगह नहीं मिलती है तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

सी. दिव्यांगजनों के लिए: प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ / नेत्र रोग विशेषज्ञ / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

डी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के संबंध में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित); (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम संवर्ग स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार

सामान्य रूप से रहता हो। आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल होगी और यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आय होगी। प्रमाण पत्र 31.03.2025 के बाद और 31.07.2025 से पहले जारी किया जाना चाहिए।

ई. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) प्रमाणपत्रों के निर्धारित प्रारूपों के लिए कृपया अनुलग्नक देखें। इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल इन्हीं प्रारूपों में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

14. परिवीक्षा अवधि:

नवनियुक्त कर्मचारी न्यूनतम 6 माह की परिवीक्षा अवधि के लिए रहेंगे। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले, नवनियुक्त कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा और जिन कर्मचारियों का कार्य-निष्पादन कंपनी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा, उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी और जिन अभ्यर्थियों की सेवाएँ कंपनी द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त कर दी जाती हैं, उन्हें प्रशिक्षण की आंशिक लागत के लिए ₹25,000/- की राशि के अतिरिक्त, कंपनी में अपनी संपूर्ण सेवा के दौरान प्राप्त और भुगतान किए गए वेतन के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान नियोक्ता के साथ किसी मूल पद को बनाए रखने के लिए निष्पादित कोई भी गृहणाधिकार/बांड कंपनी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा और कोई अवकाश, वेतन या पेंशन अंशदान नहीं किया जाएगा।

15. परिलब्धियां एवं लाभ:

- **वेतनमान (संशोधन-पूर्व):** रु.22405-1305(1)-23710-1425(2)-26560-1605(5)-34585-1855(2)-38295-2260(3)-45075-2345(2)-49765-2500(5)-62265
- **परिलब्धियाँ:** किसी महानगर में प्रारंभिक चरण में कुल परिलब्धियाँ (संशोधन-पूर्व) लगभग ₹40,000/- प्रति माह होती हैं। अन्य भत्ते तैनाती के स्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। भत्तों के अलावा, अन्य लाभ जैसे एकमुश्त घरेलू चिकित्सा लाभ, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी की सदस्यता, अवकाश यात्रा सब्सिडी और अन्य कर्मचारी कल्याण योजनाएँ कंपनी के नियमों के अनुसार होंगी।

16. सामान्य जानकारी :

1. अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे वैध कॉल लेटर, फोटोकॉपी और फोटो पहचान प्रमाण की मूल प्रति, जिस पर ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिए गए नाम के समान नाम हो, क्रमशः परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय।
2. परीक्षा के प्रबंधन में किसी समस्या की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका असर परीक्षा के संचालन और/या परिणाम पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित करना या यदि आवश्यक समझा जाए तो दूसरी परीक्षा आयोजित करना शामिल हो सकता है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। जो अभ्यर्थी इस तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, वे इस परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थता खो देंगे।

3. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों के अंकों को समान किया जाएगा ताकि विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित किया जा सके। यदि नोट्स की क्षमता कम है या किसी केंद्र या किसी अभ्यर्थी के लिए कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है, तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होगी।
5. सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी के उत्तरों का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों के साथ विश्लेषण किया जाएगा। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/मान्य नहीं हैं, तो कंपनी संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम (अयोग्य) रोक दिया जाएगा।
6. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामलों का पता चलने पर, अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी ओआईसीएल (द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।
7. ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) और/या क्षेत्रीय भाषा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण में परिवर्तन के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्दिष्ट तिथियों तक ऊपर उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण सभी प्रकार से सही हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
9. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अत्यधिक लोड या वेबसाइट जाम होने के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में समस्या/असमर्थता/विफलता की संभावना से बचा जा सके।
10. कंपनी किसी भी कारण से अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।
11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण करें और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी ईमेल आईडी सक्रिय रखें। कंपनी से एसएमएस सेवा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर देना होगा। कृपया ध्यान दें कि प्रक्रिया के दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखने होंगे।

12. ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही सूचनाएँ ईमेल और/या एसएमएस द्वारा भेजी जाएँगी। यदि मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से सूचना/सूचना अभ्यर्थियों तक नहीं पहुँचती है, तो कंपनी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान नवीनतम अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> के करियर सेक्शन पर कड़ी नज़र रखें और समय-समय पर अपने पंजीकृत ईमेल खाते की जाँच करते रहें।
13. अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर किया जाएगा। कंपनी आवश्यकतानुसार कोई अन्य परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, साथ ही अपने विवेकानुसार किसी भी केंद्र को जोड़ने, हटाने या आवंटित करने का अधिकार भी रखती है।
14. ऑनलाइन परीक्षा में प्रवेश, दस्तावेजों के संदर्भ में अभ्यर्थियों की आयु/योग्यता/संवर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/ईएक्सएस) आदि के सत्यापन के बिना पूरी तरह से अस्थायी होगा।
15. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करने चाहिए। एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा और अन्य कई पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थिति/उपस्थिति को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा/अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन वापस नहीं लिए जाएँगे और/या भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा। अभ्यर्थी केवल एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवेदन करें। एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किए गए आवेदनों पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन अमान्य हो जाएँगे।
16. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय, अभ्यर्थियों को आयु/योग्यता/संवर्ग आदि से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है और वह गाँव/कस्बा जहाँ का अभ्यर्थी मूल रूप से निवासी है, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
17. किसी भी स्तर पर यदि जाति प्रमाण पत्र में जालसाजी पाई जाती है तो अभ्यर्थता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
18. सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से 'अनापति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई अन्य देय हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी में कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियोक्ता (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी) से कार्यमुक्ति पत्र/रिलीविंग पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अपने खर्च पर उपस्थित होना होगा। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को यात्रा का प्रमाण (रेल/बस टिकट/रसीद

आदि) प्रस्तुत करने पर, अपने निवास स्थान से सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया/बस किराया मिलेगा।

20. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर जैसे कि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्रक आदि में तथा भविष्य में कंपनी के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में एक समान होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।
21. यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार, अभ्यर्थी की हस्तलिखित घोषणा पर लिखावट भिन्न/असमान पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी।
22. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी हाल ही की पहचान योग्य तस्वीर (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) अपलोड करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसकी प्रतियाँ सुरक्षित रखी जाएँ। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना रूप-रंग न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही फोटो प्रस्तुत न करने या किसी भी चरण में पहचान पर संदेह होने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
23. अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा के दौरान और उसके बाद सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी उल्लंघन पर अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है।
24. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने पर निर्भर करेगी। ऐसी नियुक्ति कंपनी के सेवा एवं आचरण नियमों के अधीन भी होगी।
25. पात्रता, ऑनलाइन परीक्षा, अन्य परीक्षाएँ, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और चयन संबंधी सभी मामलों में कंपनी के निर्णय अंतिम होंगे और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में कंपनी किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
26. इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों में ही की जा सकेगी। किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई करने का एकमात्र और पूर्ण क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली में ही होगा।
27. चयनित अभ्यर्थियों पर कंपनी के सेवा विनियमों की शर्तें लागू होंगी।
28. परीक्षा/क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है। केवल इस तथ्य से कि अभ्यर्थी को कॉल लेटर जारी कर दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि कंपनी ने उसकी अभ्यर्थता को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है।
29. परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं की अनुमति नहीं है: ए) कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामिति / पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, लेखन पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन / स्कैनर आदि। बी) कोई भी संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि। - अन्य सामान जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, टोपी, आदि। सी) सभी सी भूषण जैसे अंगूठी, झुमके, नाक-पिन, चेन / हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। डी) कोई भी घड़ी / कलाई घड़ी, कैमरा, आदि। ई) कोई भी धातु की वस्तु एफ) कोई भी खाने योग्य वस्तु खुली या पैक की हुई जी) कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित

साधनों के लिए संचार उपकरणों जैसे कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाने के लिए किया जा सकता है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थता को रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं की मनाही और पुलिस शिकायतों से प्रतिबंध सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएँ, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन में लगी कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु के खो जाने की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी, चाहे वे स्वयं खर्च करें या नहीं।

30. कंपनी बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
31. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भविष्य में उसे किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।
32. इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों में ही की जा सकेगी। किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई करने का एकमात्र और पूर्ण क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली में ही होगा।

33. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता मानी जाएगी।

किसी भी विसंगति की स्थिति में, हमारी वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> के कैरियर खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी लेने हेतु हमारी वेबसाइट <https://www.orientalinsurance.org.in> के कैरियर खंड को नियमित रूप से देखते रहें।

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
कार्मिक विभाग
प्रधान कार्यालय

दिनांक: 01.08.2025
स्थान नई दिल्ली

**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में
प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ राज्य/संघ क्षेत्र के
जिला/मंडल* _____ में गांव/शहर* _____ के
श्री/ श्रीमती/ कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री* _____ जाति/जनजाति* से हैं। जिसे
निम्न *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- * संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जातियां)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन) आदेश, 1956; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960;
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)
अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
द्वारा संशोधित]

- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संशोधित जनजाति आदेश, 1959
जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976;
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
- * संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
- * संविधान (एसटी) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991; * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,
1996 ।

:: 2 ::

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवासित हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र ----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- गाँव / शहर/ जिला/ मंडल* ----- के श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- के पिता /माता* का श्री / श्रीमती / कुमारी* ----- को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* प्रमाण पत्र को जारी किये जाने के आधार पर जारी किया जाता है, जो ----- जाति/जनजाति* से संबंध रखते हैं जिसे ----- [प्राधिकरण का नाम] द्वारा उनके दिनांकित ----- के आदेश संख्या ----- के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- और/या*
उनका/उनकी* परिवार सामान्यतः जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के गाँव/कस्बा* ----- के ----- में निवास करते हैं।

स्थान:
तारीख :

हस्ताक्षर

पदनाम

[कार्यालय की
मुहर सहित]
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खंड 20 में है।

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिशनर / अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम संवर्ग स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ राज्य/संघ क्षेत्र के
जिला/मंडल* _____ में गांव/शहर* _____ के

श्री/ श्रीमती/ कुमारी* _____

पुत्र/पुत्री* _____ जाति/जनजाति* _____ समुदाय से संबंधित

है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

क्रमांक दिनांक*. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका/उनकी
परिवार राज्य/ संघ शासित क्षेत्र ----- के मंडल/जिला ----- में निवास करते
हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या
36012/22/93 - स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों
(क्रीमी लेयर) व्यक्तियों/ खंड से संबंध नहीं है।

मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

दिनांकित:

मुहर

*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

**- समय-समय पर संशोधित।

नोट:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खंड 20 में है।

विकलांगता प्रमाणपत्र
(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात और अंधापन के मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का हाल ही का पीपी आकार सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाते हुए)
--

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सावधानीपूर्वक जांच की है

कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री के पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ राज्य _____
_____ जिला के वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर का स्थायी निवासी
जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(ए) वह/वह निम्न का मामला है:

☐ ☐ लोकोमोटर विकलांगता ☐ ☐ अंधापन ☐

(कृपया जो लागू हो उस पर टिक करें)

(बी) उसके मामले में निदान _____ है

(ए) दिशानिर्देशों के अनुसार (निर्दिष्ट किया जाना है) उसकी _____ (शरीर के अंग) के संबंध में -
_____ % (आंकड़ों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक
विकलांगता/अंधापन है।

2 . आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

फॉर्म - III
विकलांगता प्रमाणपत्र
(एकाधिक विकलांगता के मामले में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

हाल ही का पीपी आकार
का सत्यापित
विकलांग व्यक्ति की फोटो (केवल चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने

श्री/श्रीमती/कुमारी _____
 श्री के पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)
 _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या
 _____ का स्थायी निवासी मकान संख्या _____
 वार्ड/गांव/गली _____ पोस्ट कार्यालय
 _____ जिला _____ राज्य _____, जिसका
 फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है, हम संतुष्ट हैं कि:

(ए) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक विकलांगता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दिए गए विकलांगताओं के लिए दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार किया गया है, और नीचे दी गई तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	अंधापन	दोनों आंखें		
4	श्रवण बाधित	£		
5	मानसिक मंदता	X		
6	मानसिक बीमारी	X		

(बी) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किए जाने वाले) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है :-

आंकड़ों में:- _____ प्रतिशत

शब्दों में:- _____ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रोग्रेसिव /नॉन-प्रोग्रेसिव /सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन: (i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ वर्ष _____ महीने के बाद संसूचित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र / वर्ष) _____ (दिन / माह) तक वैध होगा

@ - जैसे बायां/दायां/दोनों बाजू/टांगें

- उदाहरणार्थ एक आँख / दोनों आँखें

£ - जैसे बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

फॉर्म - IV

विकलांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म II और III में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का हाल ही का पीपी आकार
का सत्यापित फोटोग्राफ
(केवल चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने

श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री के पुत्र/पत्नी/पुत्री
_____ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)

आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ का
स्थायी निवासी मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली _____ पोस्ट
कार्यालय _____ जिला _____ राज्य _____,
जिसका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है, हम संतुष्ट हैं कि वह _____
विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक विकलांगता/विकलांगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन
नीचे दिए गए विकलांगताओं के लिए दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार किया गया है, और
नीचे दी गई तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	अंधापन	दोनों आंखें		
4	श्रवण बाधित	£		
5	मानसिक मंदता	X		
6	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उन विकलांगताओं को काट दें जो लागू नहीं होती हैं।)

2. उपरोक्त स्थिति प्रोग्रेसिव / नॉन-प्रोग्रेसिव / सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) _____ वर्ष _____ महीनों के बाद संसृज किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिन / महीने / वर्ष) तक वैध होगा _____

@ - जैसे बायां/दायां/दोनों बाजू/टांगें # - उदाहरणार्थ एक आँख / दोनों आँखें

£ - जैसे बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी कर्मचारी (मुहर सहित) नहीं है तो सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के मुखिया के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

नोट: यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 अधिसूचना संख्या एसओ908 (ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

प्रोफार्मा - ए
सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कर्मिकों के लिए लागू प्रमाणपत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ रैंक _____ नाम _____
जिसकी जन्म तिथि _____ है ने _____ सेना/ नौसेना/ वायु सेना में ----- से ---
----- तक सेवाएं दी हैं।

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

%ए) असाइनमेंट पूरा होने पर अन्यथा

(i) बर्खास्तगी के माध्यम से, या

(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी के माध्यम से, या

(iii) अपने स्वयं के अनुरोध पर, लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना, या

(iv) ऐसी रिहाई के लंबित होने तक उन्हें रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

%बी) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण।

%सी) कम से कम पांच साल की सैन्य सेवा के बाद अशक्त होने पर

3. वह समय-समय पर संशोधित (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 की भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम **

तारीख:

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

** सशस्त्र सेना कर्मिकों को आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में: सेना: सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कर्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायु सेना: कर्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(बी) नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/ओआर और समकक्ष के मामले में: सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: बीएबीएस, मुंबई; वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - बी

सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का फार्म
(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक _____ रैंक _____ नाम _____
सेना/ नौसेना/ वायु सेना में _____ से
सेवारत है।

2. वह अपने कार्यभार की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर या 01.03.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त तथा सेवामुक्त त होने वाले हैं।

3. उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम **

तारीख:

मुहर

** सशस्त्र सेना कार्मिकों को आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में: सेना: सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(बी) नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/ओआर और समकक्ष के मामले में: सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: बीएबीएस, मुंबई; वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - सी

सशस्त्र बल के सेवारत उन कर्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन, जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त किया जाना है

- (1) मैं समझता/समझती हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।
- (2) मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया है, तो मैं इस परीक्षा द्वारा कवर की गई भर्ती के संबंध में एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में रियायतें प्राप्त करने वाली रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा/होगी।

स्थान :

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और नाम

प्रोफार्मा - डी

सशस्त्र बल के उन सेवारत कर्मिकों के लिए लागू प्रमाण पत्र का फार्म जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्यभार पहले ही पूरा कर लिया है और विस्तारित कार्यभार पर हैं

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक _____ रैंक _____ नाम _____ जिसकी जन्म तिथि _____ जन्म _____ है, _____ से सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत है
2. उन्होंने _____ पर पांच साल का अपना प्रारंभिक कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया है और _____ तक विस्तारित कार्यभार पर हैं।
3. सिविल रोजगार के लिए आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और चयन होने पर उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के नोटिस पर सेवामुक्त तकर दिया जाएगा।

स्थान :

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम सक्षम प्राधिकारी**

तारीख :

मुहर

** सशस्त्र सेना कर्मिकों को आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में: सेना: सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कर्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायु सेना: कर्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(बी) नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/ओआर और समकक्ष के मामले में: सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: बीएबीएस, मुंबई; वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली।